न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 18/2024
अनवान : –

1. मनोज कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी 7 केएनएन तहसील नोहर नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजेन्द्र पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी 7 केएनएन तहसील नोहर।
2. माया पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी 7 केएनएन तहसील नोहर।
3. पूनम पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी 7 केएनएन तहसील नोहर।
4. उर्मीला पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी 7 केएनएन तहसील
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 6/2/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 125/120 के कुल खसरे 26 का कुल क्षेत्रफल 4.6870 है0 भुमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है वाद भूमि पैतृक होने के कारण उक्त वाद भूमि में वादी एंव प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परीवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाई व पिता के पक्ष मे परित्याग चुकी है इसी प्रकार बाद हकत्याग मुताबीक पारिवारीक समझोता उपरोक्त भूमि मे वादी 1.40 है0 भूमि पर व शेष भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 काबिज है वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई बार कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे जो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:57:38 IST
Reason: SelfAttested

Ω

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की साक्ष्य सबूतों के आधार पर एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जवाब शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के दादा के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 125/120 के कुल खसरे 26 का कुल क्षेत्रफल 4.6870 है0 भुमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कथन को स्वीकार किया गया है। उभयपक्षों द्वारा उक्त वाद भूमि को पैतृक दादलाई कृषि भूमि होना जाहिर किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:57:38 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073—2076 खाता सख्या 125/120 के कुल खसरा 26 का कुल क्षेत्रफल 4.6870 हे0 भुमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से 1.40 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रखी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 6/2/2024..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:57:38 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 18/2024

अनवान : –

1. मनोज कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी 7 केएनएन तहसील नोहर नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजेन्द्र पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी 7 केएनएन तहसील नोहर।
2. माया पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी 7 केएनएन तहसील नोहर।
3. पूनम पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी 7 केएनएन तहसील नोहर।
4. उर्मीला पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी 7 केएनएन तहसील
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 18 सन 2024 निर्णय दिनांक 6/2/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुनील कटारिया तथा राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073–2076 खाता सख्या 125/120 के कुल खसरा 26 का कुल क्षेत्रफल 4.6870 हे0 भुमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से 1.40 है. भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रखी रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/2/2024..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:57:38 IST
Reason: SelfAttested